न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :—भवानी सिंह, (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 06 / 2021

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
भगवानराम पुत्र मिसाराम जाति जाट निवासी ग्राम बिरावास तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम सपठित धारा 209 राजस्थान टीनेसी एक्ट

उपस्थिति :—वादी की ओर से श्री पदमाराम चौधरी अधिवक्ता
प्रतिवादी सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :—**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिरावास पटवार क्षेत्र बिरावास, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खाता सं.238 (पुराना खाता सं.207) के खसरा नंबर 297 रकबा 6.0837 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, कृषि भूमि प्रार्थी के कब्जा का"त व खातेदारी में स्थित है, जिसमें प्रार्थी का 1/4 वां हिस्सा है। जिस पर प्रार्थी के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा नहीं है, जिसके सबूत में जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 की प्रमाणित प्रतिलिपि पे"ा है। ग्राम बिरावास पटवार क्षेत्र बिरावास, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि नया खाता सं.149(पुराना खाता सं. 215) के खसरा नंबर 307 रकबा 1.9982 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, कृषि भूमि प्रार्थी के कब्जा का"त व संयुक्त खातेदारी की स्थित है, जिसमें प्रार्थी का 1/4 वां हिस्सा है। उक्त खसरान की कृषि भूमि में प्रार्थी की अपनी 1/4 हिस्से की भूमि पर प्रार्थी के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा नहीं है, तथा उपरोक्त खसरा की भूमि राजस्व रेकर्ड में हल्का पटवारी द्वारा सेव से प्रार्थी के नाम भगवानराम के स्थान पर प्रार्थी का नाम भगाराम दर्ज किया गया है, जिसके सबूत में जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 की प्रमाणित प्रतिलिपि पे"ा है। ग्राम बिरावास पटवार क्षेत्र बिरावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि नया खाता सं.255(पुराना खाता सं. 229) के खसरा नंबर 313/3 रकबा 8.2842 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, कृषि भूमि प्रार्थी के कब्जा का"त व खातेदारी की स्थित है, उक्त खसरे की भूमि में प्रार्थी की सम्पूर्ण खातेदारी व कब्जाका"त की स्थित है, जिस पर प्रार्थी के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा नहीं है तथा उपरोक्त खसरा की भूमि राजस्व रेकर्ड में हल्का पटवारी द्वारा सेव से प्रार्थी के नाम भगवानराम के स्थान पर प्रार्थी का नाम भगाराम दर्ज किया गया है। जिसके सबूत में जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 की प्रमाणित प्रतिलिपि पे"ा है। प्रार्थी ने हल्का पटवारी द्वारा अपने उपरोक्त खातेदारी की कृषि भूमि की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि प्राथी के उपरोक्त तीनो खातों व खसरान की खातेदारी की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड, जमाबंदी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:09:37 IST
Reason: SelfAttested

गिरदावरी में हल्का पटवारी द्वारा सेव से भूलव"ा प्रार्थी का नाम भगवानराम के स्थान पर भगाराम दर्ज कर दिया गया है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम भगवानराम के स्थान पर भगाराम राजस्व रेकर्ड में सेव से भूलव"ा, गलत इन्द्राज होने से कभी भी वाद–विवाद की स्थिती पैदा हो सकती है। तथा प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम इन्द्राज होने से प्रार्थी को केसीसी ऋण लेने भी काफी परे"ाानी होती है तथा सरकारी योजनाओं का भी लाभ प्रार्थी नहीं ले पा रहा है। प्रार्थी अपना वास्तविक नाम भगवानराम होने बाबत अपना रा"ान कार्ड, पहचान पत्र(वोटर कार्ड), आधार कार्ड, मार्क"ीट, मूलनिवासी प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स व कार्यालय पंचायत समिति बिलाडा जिला परिषद् जोधपुर द्वारा दिनांक 03/02/2021 को नाम बाबत जारी पमाण पत्र (कार्यालय पंचायत समिति बिलाडा में प्रार्थी सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है, यानि राजकीय सेवा में भी प्रार्थी का नाम भगवानराम दर्ज है) जिसमें भी प्रार्थी का नाम भगवानराम दर्ज है। प्रार्थी का अपना रा"ान कार्ड, पहचान पत्र(वोटर कार्ड), आधार कार्ड, मार्क"ाीट, मूलनिवासी प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स व प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पे"ा करता है।हल्का पटवारी द्वारा सेव व भूलव"ा प्रार्थी के खातेदारी की उपरोक्त तीनों खातों व खसरान की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम भगाराम के स्थान पर भगवानराम राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन किए जाने योग्य है।

अन्त में वाद पे"ा कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी की उपरोक्त तीनों खातो व खसरान की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दूरस्ती की जाकर प्रार्थी का नाम भगाराम की जगह भगवानराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदे"ा फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी को सम्मन बाद तामिल पे"ा हुए। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पे"ा किया गया जिसके सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी भूमि वादी के नाम की खातेदारी भूमि ग्राम बिरावास में आई हुई है, जिसके खसरा नं. 297 रकबा 6.0837 हैक्टेयर है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है जिसमें नाम भगाराम दर्ज है। खसरा नं. 307 रकबा 1.9982 हैक्टयर है जिसमें वादी का हिस्सा 1/4 हिस्सा है जिसमें नाम भगाराम दर्ज है। खसरा नं. 313/3 रकबा 8.2842 हैक्टयर है जिसमें वादी का नाम भगाराम दर्ज है। वादी ने सरकारी दस्तावेज रा"ानकार्ड, पहचानकार्ड, आधार कार्ड, मार्क शीट इत्यादि पे"ा कर निवेदन किया कि इनमें तथा सरकारी सेवा (AEN पंचायत समिति बिलाडा) में मेरा नाम भगवानराम दर्ज है। वादी राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अपना भगाराम के स्थान पर भगवानराम करवाना चाहता है।

अन्त में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बिरावास प्रार्थी की खातेदारी भूमि के उपरोक्त तीनों खातो की भूमि में उनके हिस्से में वादी का नाम भगाराम दूरस्त किया जाकर भगवानराम किया जाता है तो भूमिधारी को कोई आपति नही है।

प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। धारा 209 राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र को दावे के रूप में संयोजित किया जा सकता है तथा उपरोक्त अनवान के राजस्व प्रार्थना पत्र को दावे के रूप में ट्रीट किया जाना न्याय संगत है। अतः मौजूदा प्रार्थना पत्र को दावे के रूप में निर्णय किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:09:37 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सरकारी द्वारा वादी की प्रार्थना स्वीकार करने के कारण वादी की साक्ष्य अखण्डित रही। इसलिए तनकीयात की आव"यकता नही रही। वादी ने स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पे"ा किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रद"ा 1 कक्षा 12 वीं अंकतालिका, प्रद"ा 2 परिवार रा"ान कार्ड भगवानराम, प्रद"ा 3 आधारकार्ड भगवानराम, प्रद"ा 4 मूल निवास प्रमाण पत्र, प्रद"ा 5 राजकीय सेवा का रिकॉर्ड आदि पे"ा किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम भगवानराम पुत्र मिसाराम दर्ज किया हुआ है जबकि राजस्व रेकर्ड में वादी की सयुक्त खातेदारो भगाराम पुत्र मिसाराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम भगवानराम पुत्र मिसाराम की घोषणा कराने का अधिकारी है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिरावास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 297 रकबा 6.0837 हैक्टेयर में वादी का 1/4 हिस्सा , खसरा नं. 307 रकबा 1.9982 हैक्टेयर में वादी का 1/4 हिस्सा, खसरा नंबर 313/3 रकबा 8.2842 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में सयुक्त खातेदार भगाराम पुत्र मिसाराम के स्थान पर भगवानराम पुत्र मिसाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे"ा प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल"ुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:09:37 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
भगवानराम पुत्र मिसाराम जाति जाट निवासी ग्राम बिरावास तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
सपठित धारा 209 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 06/2021

निर्णय दिनांक :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री पदमा राम चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम बिरावास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 297 रकबा 6.0837 हैक्टेयर में वादी का 1/4हिस्सा , खसरा नं. 307 रकबा 1.9982 हैक्टेयर में वादी का 1/4 हिस्सा, खसरा नंबर 313/3 रकबा 8.2842 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में सयुक्त खातेदार भगाराम पुत्र मिसाराम के स्थान पर भगवानराम पुत्र मिसाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे"ा प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:09:37 IST
Reason: SelfAttested